तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 29/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
07–8–2025	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 (एक) भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची, निवासी– लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिड़ा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती जया पत्नि मनीष बारोट के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी भंवरलाल के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 09–3–2023 को मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2044 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./481/Act/2022/525 दिनांक 20.3.2023 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी भंवरलाल को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी दलपत राज परमार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी भंवरलाल के अधिवक्ता ने यह अनुरोध किया कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 09–3–2023 को प्रतिवादी भंवरलाल की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा में प्रतिवादी भंवरलाल से खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के एक–एक लीटर के पैक्ड टीनों को वास्ते नमूना जांच क्रय किया था, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./481/Act/2022/525 दिनांक 20.3.2023 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया गया है। प्रतिवादी भंवरलाल की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा द्वारा खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के एक–एक लीटर के पैक्ड टीनों को फर्म वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जिला– सिरोही से जरिये बिल इनवोईस निांक 06–3–2023 से क्रय किया था एवं पैक्ड अवस्था में ही प्रतिवादी भंवरलाल ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वास्ते नमूना जांच विक्रय किया था, इसलिये इस प्रकरण में फर्म वन्दना एजेन्सी, अम्बाजी रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद भी वन्दना एजेन्सी, अम्बाजी रोड़, आबूरोड को पक्षकार बनाये बिना ही यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रकरण में वन्दना एजेन्सी, अम्बाजी रोड़, आबूरोड को पक्षकार बनाया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी भंवरलाल की ओर	नन

.......लगातार

पीठ. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 29/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	से प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रतिवादी की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा द्वारा खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) को फर्म वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ से जरिये बिल इनवोईस दिनांक 06—3—2023 से क्रय किया था। अतः इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 24—01—2025 को फर्म वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला— सिरोही को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकार (प्रतिवादी संख्या—2) बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध कारित करने के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या—2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ की अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) की ओर से दिनांक 27—3—2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण से मैसर्स वन्दना एजेन्सी, आबूरोड का नाम हटा कर घी उत्पादक बनासकांठा डिस्ट्रीक कॉ—ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्टस युनियन लिमिटेड, बनास डेरी, पालनपुर—385001 (गुजरात) को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया। जो बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26—5—2025 को खारिज किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 08—7—2025 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अन्तिम बहस हेतु नियत दिनांक 30—7—2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी भंवरलाल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी भंवरलाल की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा द्वारा खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के एक—एक लीटर के पैक्ड टीनों को फर्म वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जिला— सिरोही से जरिये बिल इनवोईस निांक 06—3—2023 से क्रय किया था एवं पैक्ड अवस्था में ही प्रतिवादी भंवरलाल ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वास्ते नमूना जांच विक्रय किया था, इसलिये इस प्रकरण में प्रतिवादी भंवरलाल को दोषमुक्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित नमूना लेने की प्रक्रिया नही अपनाई है तथा न ही न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित करवाया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी भंवरलाल से घी (बनास ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार व मौके पर नही की ....लगातार	नन

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 29/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति भी नही भिजवाई है तथा न ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) के विरुद्ध कोई अनुतोष चाहा है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी भंवरलाल की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा से घी (बनास ब्राण्ड) का नमूना लिया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 का कोई लेना देना नही है। नमूना की जांच रिपोर्ट में न्यूट्रीशन इनर्फोमेशन Given but per serve percentage contribution to RDA not given on the table होना बताकर मिसब्राण्ड फूड बताया है। उक्त लेबल निर्माता कम्पनी द्वारा अपने प्रोडक्ट पर नही लगाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) की निर्माता नही है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) से नमूना लिया गया है। मिसब्राण्ड फूड के संबंध में दायित्व केवल मात्र निर्माता कम्पनी का बनता है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी संख्या 2 को नही भेजकर उक्त अधिनियम की धारा 46(4) का उल्लंघन किया है तथा अभियोजन स्वीकृति भी प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध जारी नही की गई है जिससे न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध कानूनन परिपोषणीय नही हैं। प्रतिवादी संख्या 2 न तो घी (बनास ब्राण्ड) का निर्माता है तथा न ही विक्रेता है। प्रार्थी द्वारा बनास घी के बेच संख्या वीएबी0211 का सेम्पल लिया गया है जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी भंवरलाल की फर्म मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा को विक्रय नही किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 (वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट) के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 09.3.2023 को श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। जहां पर विक्रेता व प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची, निवासी– लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा की दुकान में खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड़) के एक–एक लीटर के 20 पैक टीन आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) को

.......लगातार

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 29/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय करने की सूचना प्रतिवादी भंवरलाल को गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर में आमजन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के एक–एक लीटर के 20 पैक टीनों में से खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के 4 पैक्ड टीन (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 2,000/– (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) प्रतिवादी भंवरलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2044, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (बनास ब्राण्ड) के चारों नमूना टीनों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2044 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबुजी घांची व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबुजी घांची व उक्त गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 10–3–2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 09–3–2023 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची से खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के ....लगातार	नन

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 29/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	एक–एक लीटर के पैक टीनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2044 की प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:L.S./481/Act/2022/525 दिनांक 20.3.2023 में घी (बनास ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची की फर्म मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के एक–एक लीटर के पैक टीनों को फर्म वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही से जरिये बिल इनवोईस दिनांक 06–3–2023 के द्वारा क्रय किया गया है एवं प्रतिवादी भंवरलाल से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के एक–एक लीटर के पैक टीनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया है, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 20–3–2023 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के विक्रय हेतु विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची, प्रतिवादी विक्रेता, मैसर्स सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा तथा थोक विक्रेता/सप्लायर फर्म वन्दना एजेन्सीज, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ के अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर श्रीमती जया पत्नी मनीष बारोट दोषी है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2044) के विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या 1 (एक) भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची, निवासी– लोकवाडा रोड़, रोहिडा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिड़ा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) श्रीमती जया पत्नी श्री मनीष बारोट, अधिकृत प्रतिनिधि/प्रोपराईटर, फर्म वन्दना एजेन्सी, अम्बाजी रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10–9–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला)	नन

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)